संख्या- 09/2019/158/71-2-2019-44/2018

प्रेषक,

जयन्त नार्लिकर,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 04 फरवरी, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में संस्थान के 25 वर्ष पुराने 1000 के0वी0ए0 क्षमता के 03 नग जनरेटरों के उच्चीकरण के अंतर्गत नये 1250 के0वी0ए0 क्षमता के नये जनरेटरों की स्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/एसीआर/डीजीसेट/488/2018, दिनांक 06-11-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान के 25 वर्ष पुराने 1000 के0वी0ए0 क्षमता के 03 नग जनरेटरों के उच्चीकरण के अंतर्गत नये 1250 के0वी0ए0 क्षमता के नये जनरेटरों की स्थापना की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में संस्थान के 25 वर्ष पुराने 1000 के0वी0ए0 क्षमता के 03 नग जनरेटरों के उच्चीकरण के अंतर्गत नये 1250 के0वी0ए0 क्षमता के नये जनरेटरों की स्थापना हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 664.28 लाख+ जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर अनुमन्य होगी) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 332.14 लाख (रूपया तीन करोड बत्तीस लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1) प्रायोजाना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान के निदेशक की होगी।
2) कार्य की द्विरावृत्ति को रोकनें की दृष्टि से संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है।
3) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं निदेशक संस्थान का होगा। प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4) पुराने 1000 के0वी0ए0 के 03 जनरेटरों को बाई बैक किये जाने का प्रस्ताव है। अतः बाई बैक से प्राप्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
5) स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रायोजना में वर्णित लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को नियमानुसार अनुमन्य की जायेगी।
7) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
8) संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
9) प्रायोजना प्रस्ताव में डी0जी0 सेट, यू0पी0एस0 सिस्टम, फ्यूल सिस्टम तथा स्काडा का प्राविधान कोटेशन के आधार पर किया गया है, के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करेंगे। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः संस्थान द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
10) आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

12) निदेशक संस्थान द्वारा कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर, शासन/महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जाय।

13) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्बा करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

14) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/164/दस-2019, दिनांक 30 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जयन्त नार्लिकर)
सचिव ।

संख्या-09/2019/158(1)/71-2-19-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5) वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 (विद्युत इकाई-17 अ) लखनऊ।
7) वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
8) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in